

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

क्रमांक रीडर/2025/ 5671

पीठासीन अधिकारी-श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

दिनांक - 03.07.25

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

1 उतमाराम पुत्र हेमाराम  
जाति माली निवासी  
राऊजी की ढाणी, कवास  
तहसील बाड़मेर ग्रामीण  
जिला बाड़मेर।


1 किशनाराम पुत्र सोनाराम 2 अणदाराम  
पुत्र मोटाराम 3 कालूराम पुत्र सोनाराम 4  
टीमोंदेवी पत्नि सोनाराम 5 मुकनाराम 6  
गोमाराम पिसरान चोखाराम 7 गणेश पुत्र  
पीराराम 8 मुकनाराम पुत्र हेमाराम निवासी  
राऊजी की ढाणी, कवास तहसील बाड़मेर  
ग्रामीण जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :- 238/2025

दिनांक- 26/06/25

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा राऊजीकीढाणी पटवार क्षेत्र कवास तहसील बाड़मेर  
ग्रामीण जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 382/282 रकबा 3.5855 हैक्टर, भूमि के चारो  
तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को  
कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व  
अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में  
खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश  
दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे।  
कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती  
है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(वीरमा राम)

उपखण्ड अधिकारी,  
उप खण्ड अधिकारी

बाड़मेर

दिनांक 03.07.25

क्रमांक :- रीडर/2025/5672-75

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य  
अंकित करें।
2. पटवारी कवास तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय  
रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी उतमाराम पुत्र हेमाराम जाति माली निवासी राऊजी की ढाणी, कवास तहसील बाड़मेर  
ग्रामीण जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण किशनाराम पुत्र सोनाराम वगैरह निवासी राऊजी की ढाणी, कवास तहसील  
बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर